International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.185-189

भारत में महिला शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान

सतीश कुमार*

प्रस्तावना

समाज में व्याप्त जेंडर (लिंग) आधारित भेदभावों और लडकियों व महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुये इस दिशा में किए गए सवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, आयोगों और समितियों द्वारा पहचाने गए मुद्दों पर समय–समय पर समाज ध्यान आकर्षित किया गया है। भारतीय समाज में लम्बे समय से लिंग आधारित भेदभाव रहे है और इस कारण लड़कियों की स्थिति निम्न दर्जे की रही है। इसका परिणाम है कि भारतीय संविधान में समानता के सिद्धान्त को सम्मिलित किया गया और राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा जेंडर विभेदीकरण का सामना करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये गये। समय–समय पर गठित समितियों और आयोगो ने भी विभिन्न क्षैत्रों में हो रहे जेंडर (लिंग) विभेदीकरण की ओर ध्यान आकर्षित कर उनके उन्मूलन के लिए सुझाव दिए तथा इस बात के महत्व को स्वीकार किया गया कि यदि महिला शिक्षा को सही दिशा नहीं मिलेगी तो समाज में व्याप्त लिंग भेद की समस्या का समाधान करना कठिन ही नहीं असंभव होगा तथा महिलाओं का सर्वागींण विकास नहीं हो पायेगा। भारतीय संविधान में महिला शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है।

भारतीय संविधान में महिला शिक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधान इस प्रकार है :

भारतीय संविधान समानता के सिद्धान्त (संविधान की प्रस्तावना और भाग– III में समानता का सिद्धान्त) की बात करता है जिसके आधार पर महिलाओं को लिंग भेद के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा हासिल है। इस प्रकार संविधान में वर्णित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं जितनी पुरूषों पर लागू होती है उतनी ही महिलाओं पर भी लागू होती है।

सर्वप्रथम भारतीय सविंधान यह सुनिश्चित करता है कि महिला एवं पुरूष दोनो के साथ समान बर्ताव किया जाए। अनुच्छेद–14, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के तहत समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16(1) एवं (2) सामान्य तौर भेदभाव को रोकता है और व्यवसाय में तथा राज्य के अधीन काम करने वाले लोगो के बीच लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है।

संविधान में तीन अनुसूचियां है केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अतः शिक्षा के विषय में केन्द्र और राज्य दोनो को समान रूप से कानून बनाने की स्वीकृति प्रदान करता है। संविधान मानता है कि कुछ मामलों में महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है। उन्हें समान दर्जा नहीं मिला है और उन्हें निम्न दर्जे पर रखा गया है। इस अन्याय को समान करने और समानता को सुरक्षित करने के लिए संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जैसा कि अनुच्छेद 15(3) कहता है कि ''राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है''।

* सहायक आचार्य, राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभरलेक, जयपुर, राजस्थान।

इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने को वैध माना है। इसी तरह महिला कॉलेजों में कुछ पदों पर महिलाओं के लिए प्राथमिकता रखना अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। तीसरा, सविधान राज्य को यह दायित्व देता है कि वह समाज के कमजोर तबके की स्थिति में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास करें जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी, चौथा संविधान राज्य को यह भी अनुमति देता है कि महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए के लिए कदम उठायें। पहली दो बाते मूलभूत अधिकारों के तहत कही गयी है और तीसरी व चौथी बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कही गयी है जिन्हें देखने का दायित्व राज्य का है।

अनुच्छेद 21(ए) –संविधान के 86 वें संशोधन एक्ट 2002 के तहत एवं अनुच्छेद 21(ए) के अनुसार 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने मूलभूत अधिकार है।

इस प्रकार शिक्षा न केवल किसी एक का अधिकार है न बल्कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार होने के कारण और प्रत्येक लडकी व महिला भी इसकी हकदार है। मूलभूत अधिकारों के अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी महिलाओं के लिए कुछ प्रासंगिक प्रावधान किए गए है जैसे कि :

अनुच्छेद 39(डी) के तहत पुरूष और महिला दोनो के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 A (e) देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे प्रचलित और प्रतीकात्मक व्यवहार को जो महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक हो उसे हतोत्साहित करने का प्रावधान करता है।

भारत सरकार ने समाज में व्याप्त लिंग आधारित भेदभाव को मध्यनजर रखते हुए महिलाओं के सर्वांगीण विकास और समान अवसर की उपलब्धता के लिए नीतियों, आयोगों और समितियों का समय–समय पर गठन किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 और महिला सशक्तिकरण नीति 2001, महिला शिक्षा और जेण्डर (लिंग) आधारित भेदभाव की व्याख्या करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज कहे जा सकते है। जो इस प्रकार से है :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहना था कि ''लडकियों की शिक्षा पर बल केवल सामाजिक न्याय के कारण नहीं बल्कि इसलिए देना होगा क्योंकि यह सामाजिक रूपांतरण को गति प्रदान करता है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिदु 4.2 के अनुसार महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। इसके तहत अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करना, शिक्षा–व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में करना, महिला सशक्तिकरण, नवीन मूल्यो की स्थापना, पाठ्य सामग्री की पुर्नरचना, शिक्षण संस्थाओं में महिला विकास के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करना आदि शामिल है। शिक्षा नीति के बिन्दु 4.3 में महिला शिक्षा के प्रसार और प्रारम्भिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में बालिका शिक्षा की भागीदारी और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992)

प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) में महिला सशक्तिकरण के तहत किये गये प्रयासों में महिलाओं का आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढाना, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदानों को पहचान, शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकल्पों को चुनने की क्षमता का विकास करना प्रमुख है। यह ध्यान में रखते हुये कि महिलाओं की सभी क्षेत्रों में बराबर भागीदारी हों, कानूनी साक्षरता तक उनकी पहुचं हो, तथा उनके अधिकारों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करना तथा समाज में जिन अधिकारों की वे हकदार है उन्हें दिलाना है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001

लडकियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 ने उठायी वह इस प्रकार है – एक तरफ संविधान, विधानों, नीतियों योजनाओं में प्रतिपादित लक्ष्यों और दूसरी और भारत में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में परिस्थिति जन्य साक्ष्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बडा अन्तर है। ''भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट समानता की ओर में इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है ।

जेण्डर सम्बन्धी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है जिसमें सबसे प्रमुख है – लिंगानुपात में गिरावट सामाजिक रूढिवादी सोचः बालिकाओं के प्रति भेदभाव भारत के कई भागों में आज भी जारी है। इसके तहत महिलाओं और लडकियों के लिए शिक्षा तक समान पंहुच को सुनिश्चित करने, भेदभाव खत्म करने, शिक्षा को जन–जन तक पंहुचाने, निरक्षरकता दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लडकियों का नामांकन बढाने महिलाओं द्वारा रोजगार और तकनीकी कौशल के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जायेंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जायेगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में से एक के रूप में लैंगिक रूढिबद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जायेंगे।

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा के महत्व कों स्वीकार करते हुये कई आयोगों और समितियों का गठन किया। इसके तहत महिला शिक्षा के मार्ग में बाधक तत्वों को पहचान कर इनके निवारण के लिए कई सुझाव भी दिये। जो इस प्रकार है :–

- **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग– 1948–49** डॉ0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुये कहा कि लोगो की राय ऐसी मालूम पडती है कि 13–14 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक लडके लडकियों की शिक्षा के विद्यालय अलग–अलग हों। आयोग ने अनुभव किया कि यह स्पष्ट नहीं होता कि इस विचारधारा का आधार रीति रिवाज है या अनुभव।

आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉलेज में प्रवेश की आयु 18 वर्ष हों। अतः कॉलेज में सहशिक्षा हो सकती है। जैसा कि आज मेडिकल कॉलेज में है। इस स्तर पर अलग कॉलेज बनाने से अनावश्यक रूप से खर्च में वृद्धि होगी। यथासंभव कॉलेज स्तर पर सहशिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये। महिलाओं को पुरूषों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान किये जायें। महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे अच्छी माता और गृहणी बन सके। स्त्रियों की शिक्षा में गृह–अर्थशास्त्र गृह प्रबन्धक का समुचित प्रावधान शिक्षा व्यवस्था में किया जाये।

- **माध्यमिक शिक्षा आयोग –1952–53** डॉ. ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट में महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16ए के आधार पर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। एक लोकतान्त्रिक समाज में महिला और पुरूष दोनो की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- **कोठारी शिक्षा आयोग –1964–66** :– भारत सरकार ने 14.07.1964 को पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रो0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जो सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास एवं शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति पर सुझाव दें।

आयोग के मत में महिला शिक्षा के विकास के लिए दो प्रकार की नीति अपनानी पडेगी–प्रथम राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशेष कार्यक्रमों पर बल देना तथा द्वितीय सभी स्तरों पर महिला शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना। अगले कुछ वर्षों तक स्त्रियों की शिक्षा को एक मुख्य कार्यक्रम माना जाये तथा इसके बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ–साथ महिला एवं पुरूष शिक्षा के अन्तर को कम किया जाये।

इस प्रयोजन के लिए विशेष योजनायें बनायी जाये और उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये। केन्द्र और राज्यों दोनो में स्त्री शिक्षा की निगरानी के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया जाये। यह संगठन सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों को स्त्री शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए एक जगह लाये जाये। अतः यह आवश्यक होगा कि स्त्रियों को प्रशिक्षण और रोजगार देने की समस्याओं की और पर्याप्त ध्यान दिया जाये।

भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा पर सुझाव देने के लिए समितियों का भी गठन किया जो इस प्रकार है :–

- **राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति–1958** भारत सरकार ने दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका कार्य महिला शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सुझाव देना था। इसके अनुसार कुछ समय के लिए महिला शिक्षा को एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाये। आवश्यक धन की विशेष रूप से व्यवस्था करते हुये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अधिक शिक्षा सुविधा प्रदान की जाये। केन्द्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर महिला शिक्षा परिषद हो, प्रत्येक राज्य में महिला शिक्षा परिषद हो और लडकियों की शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय हों। अतः इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी और महिला शिक्षा पर विचार करने के लिए पृथक इकाई भी नियुक्त की गयी।
- **हंसा मेहता समिति 1962 :–** लडके और लडकियों के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं स्थापना पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसके अनुसार हम जिस गणतांत्रिक और समाजवादी ढंग के समाज की कल्पना करते हुये उसमें शिक्षा का रूप वैयक्ति योग्यता अभिरूचि एवं भावों पर निर्भर होगा जिसका लिंग से कोई सम्बन्ध नहीं होगा इसलिए ऐसे समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव करना आवश्यक नहीं है। इसके अनुसार लडके लडकियों के लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए व्यावहारिक आधार पर मानना होगा।
- **भक्तवत्सलम् समिति– 1963 :–** 1963 में मद्रास के मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में गठित समिति ने विशेषकर ग्रामीण क्षैत्रों में लडकियों की शिक्षा के सम्बन्ध में जनता के सहयोग के अभाव की जांच की। इसके द्वारा की गयी सिफारियों के अनुसार विवाहित महिलाओं को कम से कम पार्ट टाईम और स्कूल, मदरसा में अध्यापिका के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एवं महिला शिक्षा के प्रति विरोध समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रचार करने में जनता के सहयोग की मांग की। प्रचार कार्यक्रमों एवं साधनों के द्वारा राज्य सरकारें शिक्षा के प्रति जनमत बनाये। सभी प्राथमिक स्कुलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक एवं अनिवार्य रूप से की जाये। इससे बालिकाओं की विधालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **समानता की और "महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति – 1971 – 74 की रिपोर्ट –(22 सितम्बर 1971)** इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने महिला सुधार से जुडी समस्याओं को पेश किया। भारत सरकार को इस कारण महिलाओं के अधिकार एवं हैसियत से जुडे प्रश्नों की विस्तृत पडताल की आवश्यकता के कारण विशेष रूप से शिक्षा नीति में सुझाव दे सके। इसके उद्देश्य इस प्रकार है :–

महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनकी शिक्षा रोजगार पर संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के असर की जांच पडताल करना। कानून शिक्षा रोजगार, जनसंख्या एवं नीतियों के क्षैत्र में उन कारकों को निर्धारित करना जो इन क्षैत्रों में महिलाओं की धीमी गति के लिए उतरदायी है। समिति द्वारा महिला शिक्षा पर की गयी सिफारिशें दो भागों में बांटी गयी है (1) औपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें (2) अनौपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें। औपचारिक के तहत सहशिक्षा का विकास, लडके एवं लडकियों दोनो के लिए समान पाठ्यक्रम का सुझाव, विद्यालय पूर्व शिक्षा, 06–14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वजनिकता, औपचारिकता शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की सामाजिक प्रभाविकता को बढाने की बात की जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया

होगी इसके तहत उन महिलाओं की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही जो, अपनी उम्र सामाजिक जिम्मेदारी और साक्षरता की कमी के कारण औपचारिकता व्यवस्था तक नहीं पंहुच पायी है।

- **लडकियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा – 2005**, असम के मुख्यमन्त्री तरूण गोगोई की अध्यक्षता में गठित समिति में स्त्री शिक्षा भी एक मुद्दा था। इस समिति का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को कम करने वाली विशेष नीतियों और प्रावधानों का परीक्षण करना एवं शिक्षा के सभी क्षैत्रों में लडकियों एवं महिलाओं की भागीदारी को बढावा देना। इसके अनुसार महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा के प्रति यांत्रिक दृष्टिकोण का विरोध करने की आवश्यकता है जिससे जन्मदर को नियंत्रित करें, बेहतर स्वास्थ्य सेवायें, गिरती शिशु मृत्युदर आदि के लिए महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। आज भी शिक्षा लिंग आधारित रूढिवादिता से ग्रसित है। लडकियों की शिक्षा के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति को केवल उनके नामांकन और स्कूल में रूकने मात्र तक सीमित कर नहीं देखा जाये बल्कि सभी विषयों और स्तरों पर भी उनकी उपलब्धि और प्रदर्शन को देखा जाये तथा महिला शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर से उपर भी सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त योजनाओं के साथ–साथ महिला शिक्षा के लिए समय–समय पर सरकार ने महिला समस्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, गोरा देवी कन्याधन योजना, बेटी बचाओं, बेटी पढाओं योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, उडान आदि योजनाये भी चलायी है। अभी तक हमें लगभग प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षैत्रों में लिंग आधारित भेदभाव दिखायी दे रहा है। इसलिए अभी भी संविधान द्वारा तय किया गया समानता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। समाज इन भेदभावों के प्रति, सवेंदनशील एवं चिन्तनशील हो, महिला स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और यह तभी संभव होगा जब उनकी पंहुच शिक्षा तक होगी। लडकियों को शिक्षित करने की उपयोगिता को रूढिबद्ध दायरों में ही रखकर देखने के स्थान पर उनकी शिक्षा को बौद्धिक तौर पर स्वतन्त्र होने से जोडकर देखना होगा तभी शिक्षा का लक्ष्य संवैधानिक लक्ष्यों से मिल पायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- भारतीय संविधान – अनुच्छेद 14, 15 एवं 16
- भारतीय संविधान – अनुच्छेद 21A
- भारतीय संविधान – अनुच्छेद 51 A (E)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन –1992
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001
- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948–49
- माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53
- कोठारी शिक्षा आयोग, 1964–66
- राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति, 1958
- हँसा मेहता समिति, 1962
- भक्तवत्सलम् समिति, 1963
- समानता की ओर महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति, 1971–74
- लड़कियों की शिक्षा, सम्मान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा–2005

❖◆❖